

राजस्थान सरकार
कृषि (गुप 2) विभाग

क्रमांक: प.4(50)कृषि/गुप-2/97

जयपुर, दिनांक - 4 MAY 2016

आदेशः

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2010 के द्वारा एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में नियम 63 ए, 63 बी, 63 सी, 63(2) के प्रावधानानुसार विभिन्न मापदण्ड निर्धारित किये गये थे। नियम 63 डी (7) के प्रावधानानुसार विशिष्ट अनुज्ञापत्रधारक कृषि केंद्र के अलावा मण्डी क्षेत्र में भी कृषि कर सकता है। अतः आदेश दिनांक 03.06.2010 में निर्धारित प्रावधानों को यथावत रखते हुए अन्य विशिष्ट अनुज्ञापत्रधारक जो मात्र मण्डी क्षेत्र (मुख्य/गौण मण्डी सहित) में कृषि हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

आवेदन शुल्क	-	1000 रु.
अनुज्ञापत्र शुल्क	-	5000 रु.
अमानता राशि	-	5 लाख की बैंक गारन्टी
कृषि जिनसों की न्यूनतम मात्रा	-	1000 मै. टन


आज्ञा से,

६०

(द्रोपदी कुमारी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव मा. मुख्य मंत्री महोदया, राज. जयपुर ।
- 2- विशिष्ट सहायक मा. मंत्री कृषि विपणन, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, कृषि ।
- 4- निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:प. ()निकृषि/निय./नियम/जी-19/2016/ 4834 - 969 दिनांक: 06.5.16
राज्य सरकार के उक्त आदेश क्रमांक प.4(50)कृषि/गुप-2/97 दिनांक 04.05.16 निम्न को कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है :-

1. समस्त क्षेत्रीय सयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग ।
2. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ।


(मोहन लाल जाट)
सहाय निदेशक(नियमन)
कृषि विपणन